

राजस्थान सरकार

स्वायत्ता शासन विभाग, राज. जयपुर
३ राजगढ़ सैक्षण्डी देवीया, रिविल साईन काटक के पास गो-मण्डी, जयपुर 302001

प्रा-३ संग्रहालय राज्यकान्ता शिवाय, तिरुवनंतपुरम् काटक क पास ६००११००, तमிழ்நாடு, இந்தியா | பேரவை: 0422-2222222 | இலக்ட்ரானிக் கூட்டுறவு: www.cmar-india.org | இமாலை: dlbralasth

Digitized by www.cmar-india.org For dibrulasthan@gmail.com

५५४ लिंग : १२

क्रमांक एफ २(घ)(निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलवी/१९/१५५४ दिनांक : १२/६/१९

आदेश

नगर पालिका, राजगढ़(चूरू) द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए बिना निदेशालय एवं राज्य सरकार के आदेशों को ध्यान में रखे, अपने स्तर पर ही कन्सलटन्सी फर्म ग्रीन सिटी सर्वेयर, जयपुर को जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में लगभग 2.53 करोड रुपये का भुगतान किया जा कर की गयी अनियमितता की जांच हेतु विभागीय आदेश दिनांक 29.04.19 द्वारा गठित चार सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 28.05.19 में नगर पालिका, राजगढ़(चूरू) के अध्यक्ष सहित अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, और शाखा प्रभारी लिपिक को सांमूहिक रूप से पड़यन्त्रपूर्वक उक्त फर्म से सांठ-गांठ कर सरकारी धनराशि के दुरुपयोग किये जाने का दोषी पाया गया है।

चूंकि दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत जांच का निर्णय लिया गया है अतः राजस्थान सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका, राजगढ़(चूरू) के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है :-

1. श्री प्रकाश चंद खींचड, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़(चूरू)
 2. श्री हेमराज ढाका, अधिशासी अभियन्ता, हाल नगर परिषद, चूरू
 3. श्री रतन खण्डेलवाल, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, राजगढ़(चूरू)
 4. श्री रामनिवास मीणा, कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका, राजगढ़(चूरू)

उपरोक्त सभी अधिकारियों/कार्मिकों का मुख्यालय निलम्बन काल में निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर में रहेगा और इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भूगतान नगर पालिका, राजगढ़(चूरू) से किया जावेगा।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ २(घ)(निल.)आरएमएस(जांच) / डीएलवी / १९/१५५५-१५७२ दिनांक : १२-६-१९ प्रतिलिपि सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
 - निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
 - जिला कलेक्टर, चूरू।
 - क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर को प्रेपित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में आपको निर्देशानुसार जांच अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी आरोपित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सीसीए 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जा कर, निर्धारित प्रपत्रों (अ,ब,स,व द) की पूर्ति करते हुए 15 दिवस में प्रत्येक कार्मिक के पृथक पृथक आरोप पत्रादि इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 - सभापति/आयुक्त, नगर परिषद, चूरू।
 - अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़(चूरू)
 - श्री प्रकाश चन्द खीचड, अधिशासी अधिकारी, राजगढ़(चूरू)
 - श्री हेमराज ढाका, अधिशासी अभियन्ता, हाल नगर परिषद, चूरू।
 - श्री रतन खण्डेलवाल, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, राजगढ़(चूरू)।
 - श्री रामनिवास मीणा, कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका, राजगढ़(चूरू)।
 - उप निदेशक—आईटी, निदेशालय को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
 - वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन शाखा, निदेशालय।
 - संस्थापन अनुभाग—आरएमएस/तकनीकी, /एसएमई, निदेशालय।
 - सुरक्षित पत्रावली।

सुनील भाटी

10. स्थापन अनुभाग—आरएमएस / तकनीकी, / एसएमई, निदेशालय ।
11. सुरक्षित पत्रावली ।


(सुनील भाटी)
अतिरिक्त निदेशक